PURNEA UNIVERSITY, PURNIA

[Estd. In 2018 under the Bihar State Universities (Amendment) Act, 2016 (Bihar Act,13, 2016)]

(Administrative Block, Pratap Nagar, Purnea Bihar – 854301)

website : https://www.purneau.ac.in E-mail : registrar@purneau.ac.in

पत्रांक : PUP (RO – 268 /20 PF – IV) – R / 26 – 1470 दिनांक : 09.09.2026

कार्यालय आदेश

यह संज्ञान में आया है कि कुछ शिक्षक, पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा कार्यालय अवधि में अपने दायित्वों के निर्वहन में अपेक्षित तत्परता एवं अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ पदाधिकारियों / कर्मियों का व्यवहार सहकर्मियों एवं विशेष रूप से निम्नवर्गीय शिक्षकेतर कर्मियों एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों के प्रति अपेक्षित सहयोगात्मक एवं मर्यादित नहीं रहता है। ऐसा आचरण कार्यालयीन अनुशासन एवं सामान्य सेवा आचरण के प्रतिकूल है।

अतः विश्वविद्यालय के सभी कार्यरत शिक्षक, पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर कार्यालय/विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करें तथा सम्पूर्ण कार्यालय अवधि में अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक, समयबद्ध एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निर्वहन सुनिश्चित करें। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कार्यस्थल से अनुपस्थित रहना अथवा कार्यालय अवधि में अनावश्यक रूप से कार्यालय से बाहर रहना अनुशासनहीनता माना जाएगा।

सभी कर्मी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करें तथा अपने अधीनस्थ एवं समकक्ष कर्मियों आउटसोर्सिंग कर्मियों सहित के साथ शिष्ट, सहयोगात्मक, सम्मानजनक एवं मर्यादित व्यवहार बनाए रखें। किसी भी कर्मचारी के साथ पद, संवर्ग अथवा कार्य की प्रकृति के आधार पर भेदभावपूर्ण, अपमानजनक अथवा असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। कार्यालय में उच्च स्वर में बातचीत, अनावश्यक विवाद, व्यक्तिगत टिप्पणी, अभद्र भाषा, अनुचित दबाव अथवा ऐसा कोई व्यवहार जिससे कार्यालय का सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रभावित हो, पूर्णतः वर्जित रहेगा।

कार्यालय में अनुशासन, समयपालन एवं कार्य-संस्कृति बनाए रखना प्रत्येक शिक्षक, पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता, अनधिकृत अनुपस्थिति, वरिष्ठ पदाधिकारी के वैध निर्देशों की अवहेलना अथवा किसी भी कर्मी के प्रति अनुचित व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन अथवा इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षक/पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश विश्वविद्यालय के सभी विभागों/कार्यालयों तथा अधीनस्थ सभी महाविद्यालयों पर समान रूप से प्रभावी होगा।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

09.9.26

(प्रो. अखिलेश कुमार)

कुलसचिव

PURNEA UNIVERSITY, PURNIA

[Estd. In 2018 under the Bihar State Universities (Amendment) Act, 2016 (Bihar Act,13, 2016)]

(Administrative Block, Pratap Nagar, Purnea Bihar – 854301)

website : https://www.purneau.ac.in E-mail : registrar@purneau.ac.in

ज्ञापांक : PUP (RO – 268 /20 PF – IV) – R / 26 – 1470 दिनांक : 09.09.2026

प्रतिलिपि : सभी संकायाध्यक्षगण / विभागाध्यक्षगण / पदाधिकारीगण, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रधानाचार्य / प्रभारी प्रधानाचार्य, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय कुलपति के निजी सहायक पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सूचना पट, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।

प्रतिलिपि : गार्ड फाईल : संधारण हेतु ।

09.9.26

(प्रो. अखिलेश कुमार)

कुलसचिव